2025/328

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री रूपाराम निवासी बनारा, मंगरोल जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 68 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
13.11.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2025 को देकर निवेदन किया है कि मुख्य बाजार विकास नगर आबूपर्वत में स्थित आशा लालवानी पत्नि श्री सुरेश लालवानी के नाम से भूखण्ड कर कोई निर्माण / मरम्मत स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा नहीं। यदि उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है तो किस आधार पर की गई है। स्वीकृति से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2025 को देकर निवेदन किया है कि मुख्य बाजार विकास नगर आबूपर्वत में स्थित आशा लालवानी पत्नि श्री सुरेश लालवानी के नाम से भूखण्ड कर कोई निर्माण / मरम्मत स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा नहीं। यदि उक्त स्वीकृति प्रदान की गई है तो किस आधार पर की गई है। स्वीकृति से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा जरिए पत्र क्रमांक / सू.अ. / 2025 / 562 दिनांक 22.10.2025 के द्वारा अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	